भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1308

उत्तर देने की तारीख 8दिसंबर, 2025

सोमवार, 2025/17अग्रहायण,1947 (शक)

पंजाब कौशल विकास मिशन के साथ समन्वय

1308. श्री मलविंदर सिंह कंगः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय योजनाओं के अंतर्गत पंजाब में सरकारी आईटीआई को उत्कृष्टता केंद्रों में अपग्रेड करने के लिए विशिष्ट पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ख) इस परिवर्तन हेतु उद्योग-प्रेरित विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) की स्थापना हेतु हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना को पंजाब में क्षेत्रीय उद्योग की मांगों के साथ एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उक्त एकीकरण ने शिक्षुता सहभागिता और रोजगार परिणामों को किस प्रकार प्रभावित किया है;

(घ) क्या पंजाब ने विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और दिव्यांगजनों जैसे हाशिए पर पड़े समूहों के लिए उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) में भागीदारी की है; और

(ङ) सरकार द्वारा युवा उद्यमिता को सक्षम बनाने के लिए स्किल इंपेक्ट बांड और पुनर्गठित मॉडल स्किल लोन योजना जैसे नवीन वित्तपोषण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए पंजाब के कौशल विकास मिशन के समन्वय से क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) महोदय, मंत्रिमंडल ने देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता और प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन (पीएम सेतु) योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में दो घटक शामिल हैं:

i. घटक I -हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत,1,000(200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई) आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा। जिनमें स्मार्ट कक्षाओं, आधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल सामग्री और उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप नए पाठ्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उन्नत किया जाना शामिल है।

Ii. घटक II - भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में स्थित पांच एनएसटीआई की सीटों की क्षमता में वृद्धिकरना, जिसमें वैश्विक साझेदारी के साथ प्रशिक्षकों के उन्नत प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौशल विकास के लिए क्षेत्र-विशिष्ट राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना शामिल है।

इस योजना का कुल अनुमानित परिव्यय ₹60,000 करोड़ है, जिसके अंतर्गत पांच वर्ष की अवधि के लिए केंद्र सरकार (₹30,000 करोड़), राज्य सरकारें (₹20,000 करोड़) और उद्योग भागीदार (₹10,000 करोड़) का अंशदान देंगे। मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार, इस योजना को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पंजाब राज्य सहित पूरे भारत में लागू करने का प्रस्ताव है।

(ख) पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय संचालन समिति की स्वीकृति के बाद योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य संचालन समिति का गठन करना होगा और उद्योग भागीदारों से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति/प्रस्ताव हेतु अनुरोध आमंत्रित करना होगा। प्राप्त सूचना के अनुसार, अब तक 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश) ने अपनी राज्य संचालन समिति को अधिसूचित कर दिया है। तथापि, एसएससी द्वारा राष्ट्रीय संचालन समिति के अनुमोदन हेतु उद्योग से संबंधित अभी तक कोई भी प्रस्ताव अग्रेषित नहीं किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) का उद्देश्य पंजाब राज्य सहित पूरे देश में शिक्षुता प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना है। यह योजना वर्तमान में अपने दूसरे चरण (एनएपीएस-2) में है। क्षेत्रीय उद्योग की माँगों के साथ समेकन हेतु किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

i. शिक्षु अधिनियम (वर्ष 2014 में यथा संशोधित) उद्योगों को "वैकल्पिक ट्रेडों" के रूप में अपने स्वयं के कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति प्रदान करता है, जो विशिष्ट स्थानीय कौशल मांगों को पूरा करने वाले प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उनके पास उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हैं। वर्तमान में स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 260से अधिक नामित ट्रेड और 750 से अधिक वैकल्पिक ट्रेड उपलब्ध हैं।

ii. एनएपीएस-2 के अंतर्गत, सरकारआंशिक वजीफा सहायता (न्यूनतम वजीफे का 25%, ₹1,500 प्रति माह तक) प्रदान करती है जिसमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से शिक्षुओं को सीधे भुगतान किया जाता है।

iii. इस लचीलेपन और वित्तीय सहायता के कारण शिक्षुओं की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है। एनएपीएस-2 के अंतर्गत पंजाब राज्य में कुल शिक्षुओं की संख्या 57,885 (31 अक्तूबर 2025 तक) है।

(घ) जी,हाँ। सरकार ने एक समावेशी उद्यमशीलता इको सिस्टम बनाने की पहल में भागीदारीकी है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) के माध्यम से, पंजाब राज्य में प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उद्यमशीलता आधारित कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है।

इस कार्यक्रम का उद्देशय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों, महिलाओं और दिव्यांगजनों (PwD) सहित लाभवंचित समूहों को लाभ पहुंचाना है जिसके तहत उन्हें मार्गदर्शन, हैंडहोल्डिंग और बाज़ार संपर्क जैसीसहायता प्रदान की जाती है। पंजाब राज्य के लिए भागीदारी विवरण इस प्रकार हैं:

परियोजना की अवधि	**प्रशिक्षित प्रतिभागियों की कुल संख्या**	**प्रशिक्षित महिला प्रतिभागियों की संख्या**	**प्रशिक्षित अनुसूचित जाति (एससी) प्रतिभागियों की संख्या**	**प्रशिक्षित अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रतिभागियों की संख्या**	**प्रशिक्षित दिव्यांगजन प्रतिभागियों की संख्या**
वर्ष 2024 - 25 से नवंबर 2025	1757	190	489	2	3

नोट - उपरोक्त कार्यक्रम में सौर प्रौद्योगिकियों से संबंधित उद्यमशीलता और कौशल दोनों घटक शामिल हैं।

(ङ) सरकार ने युवाओं को कौशल सम्पन्न और उद्यमशीलता सक्षम बनाने हेतु स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड और मॉडल स्किल लोन जैसी नवीन वित्त-पोषण व्यवस्थाएँ शुरू की हैं। हालाँकि, इन पहलों के संबंध में पंजाब कौशल विकास मिशन के साथ वर्तमान में कोई विशेष समन्वय नहीं है।

वित्त-पोषण की सुविधा सुलभ कराने वाली केंद्रीय योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

• पुनर्गठित आदर्श कौशल ऋण योजना: यह योजना कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है ताकि मांग-आधारित कौशल पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को वित्तीय संस्थानों से अप्रतिभूत, कोलैटरल रहित कौशल ऋण प्राप्त करने में सुविधा हो। वित्त की आसान सुलभता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना का पुनर्गठन किया गया है। 31 अगस्त, 2025 तक, इस योजना के अंतर्गत कुल 31 ऋणदाता संस्थान पंजीकृत हैं, जिनमें 12 एनबीएफसी और 2 निजी क्षेत्र के बैंक शामिल हैं, जो हाल के संशोधनों के बाद पंजीकृत हुए हैं।

• स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड: यह एक नवोन्मेषी परिणाम-आधारित वित्त-पोषण व्यवस्था है जो निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता का उपयोग करता है। यह केवल प्रशिक्षण और प्रमाणन के बजाय रोजगार देने और उसे बनाए रखने पर केंद्रित है। यह बॉन्ड कौशल प्रशिक्षण और रोजगार प्रदायगी के माध्यम से 50,000 भारतीय युवाओं को लाभान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें 60% महिला लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है।

*****